

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION
WEALTH-TAX**

New Delhi, the 23rd June, 2014

S.O.1576 (E) .— In exercise of the powers conferred by clause (ba) and clause (bb) of sub-section (2) of section 46 read with section 14A and section 14B of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (1st Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Wealth-tax Rules, 1957 (hereinafter referred to as the “said rules”),—
 - (i) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“3. Form of return of net wealth. — (1) The return of net wealth referred to in section 14 shall—

(a) in respect of assessment year 2013-14 and earlier assessment years in the case of individuals, Hindu undivided families and companies, be in Form BA and shall be verified in the manner specified therein.

(b) in respect of the assessment year 2014-15 and any other subsequent assessment year in the case of individuals, Hindu undivided families and companies be in Form BB and shall be verified in the manner specified therein.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (3), for the assessment year 2014-15 and any other subsequent assessment year, the return of net wealth referred to in sub-rule (1) shall be furnished electronically under digital signature.

(3) In case of individual or Hindu undivided family to whom the provisions of section 44AB of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) are not applicable, the return of net wealth referred to in sub-rule (1) may be furnished for assessment year 2014-15 in a paper form.

(4) The return of net wealth required to be furnished in Form BB shall not be accompanied by a statement showing the computation of the tax payable on the basis of the return, or proof of the tax and interest paid, or any document or copy of any account or form of report of valuation by registered valuer required to be attached with the return of net wealth under any provisions of the Act.

(5) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing the returns in the manners specified in sub-rule (2).”

3. In the said rules, in Appendix, after Form BA, the following Form shall be inserted; namely :-

PART-B

Part B -NW

Computation of net wealth

1	Aggregate value of immovable property (as per item no.10 of Schedule IP)	1	
2	Aggregate value of movable property [other than jewellery, etc. referred to in S.2(ea)(iii)] (as per item no.4 of Schedule MP)	2	
3	Aggregate value of jewellery, etc. (as per item no.12 of Schedule JE)	3	
4	Includible net wealth of other persons (as per item B of Schedule INW)	4	
5	Aggregate value of interest in assets held in a Firm/AOP as partner/member (as per item B of Schedule IFW)	5	
6	Net wealth (1+2+3+4+5)	6	

Part B -TNW

Computation of tax liability on net wealth

1	Tax payable on net wealth	1	
2	Interest payable on late filing of return	2	
3	Total tax and interest payable (1+2)	3	
4	Tax and interest paid	4	
5	Amount payable (Enter if 3 is greater than 4, else enter 0)	5	
6	Refund (If 4 is greater than 3, else enter 0)	6	
7	Refund, if any, shall be deposited directly into your bank account. Please furnish following details:		
	Enter your bank account number		
	MICR Code		Type of Account (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>) <input type="checkbox"/> Savings <input type="checkbox"/> Current

Part B -TP

Details of Tax and Interest paid

TAX PAYMENTS

Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				
iii				
iv				
Total				

VERIFICATION*

I (Name in full and in Block Letters) son/daughter of holding permanent account number solemnly declare that, to the best of my knowledge and belief, the information given in this return and the schedules thereto is correct and complete, and that the net wealth and other particulars shown therein are truly stated and in accordance with the provisions of the Wealth-tax Act, 1957(27 of 1957) in respect of net wealth as on the valuation date chargeable to wealth-tax for the assessment year

1957), in respect of net wealth as on the valuation date chargeable to wealth-tax for the assessment year .

I further declare that I am making this return in my capacity as
that I am competent to make this return and verify it.

(designation in case of Company/Hindu undivided family) and

Place

Sign here →

Date

* Before signing the verification, the signatory should satisfy himself that this return is correct and complete in every respect. Any person making a false statement in this return shall be liable to prosecution under section 35D of the Wealth-tax Act, 1957(27 of 1957), and on conviction be punishable:

(i) In a case where the tax sought to be evaded exceeds one lakhs rupees, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;

(ii) In any other case, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine..

chedule IP

Immovable Property[S.2(ea)(i) or S.2(ea)(v)]

Sl.No		Immovable Property 1 (i)	Immovable Property 2 (ii)	Immovable Property 3 (iii)
1	Description			
2	Complete Address			
3	Survey/Plot No. of Land			
4	Value as per Schedule III			
5	Debt owed in relation to the immovable property			
6	Net amount (4-5)			
7	Name of Registered Valuer			
8	Registration Number of Valuer			
9	Date of report by Valuer			
10	Aggregate net amount of all Immovable Properties [6(i)+6(ii)+6(iii)]			

chedule MP

Movable Property [other than jewellery, etc. referred to in S.2(ea)(iii)]

(B)	Total net wealth of the person					

chedule IFA

Interest held in the assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof:

(A)	Sl.No	Name(s) of Firm(s)/AOP(s) (a)	Address(es) of Firm(s)/AOP(s) (b)	PAN of Firm(s)/AOP(s) (c)	Name(s) of other Partners/Members (d)	Assessee's Profit Sharing Ratio(%) (e)	Value of the Assessee's interest in the assets of firm/AOP as per Schedule III (d)	Debt owed in relation to such interest (e)	Net amount [(d)-(e)]
(B)	Total interest held in the asset of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof								

chedule ACE

Assets referred to in section 2(ea) which are claimed as exempt under section 5

Sl.No	Description of Assets	Value	Debt owed in relation to such asset	Reason for claiming exemption

chedule OPR

Other properties (See Note 1)

To be filled up by individual or HUF only)

	Properties	Cost
--	------------	------

A	Immovable Property				
	I	Agricultural Land			
		(a) Description			
		(b) Complete Address			
		(c) Survey / Plot No. of Land			
	II	Non-agricultural Land			
		(a) Description			
		(b) Complete Address			
		(c) Survey / Plot No. of Land			
	III	Commercial Building			
		(a) Description			
		(b) Complete Address			
		(c) Survey / Plot No. of Land			
	IV	Residential Building			
		(a) Description			
		(b) Complete Address			
		(c) Survey / Plot No. of Land			
	Movable Property				
	B	I	Total amount of deposits in Bank accounts (FDRs, Term Deposits and all other types of Deposits including saving accounts), with Financial Institutions, Non Banking Financial Companies and Cooperative societies.		
		II	Amount of investment in Bonds, Debentures/shares and units in companies/Mutual Funds.		
III		Amount of investment in NSS, Postal Savings, Insurance Policies and investment in any Financial Instrument in Post office or Insurance Company.			
IV		Total amount of loans/advance given to any person or entity including firm, Company, Trust etc. and other receivables from debtors.			
V		Any other property including value of Claims/interest etc.			
Total value at cost of other properties					
Total liability in relation to other properties					

Net amount of other properties	
--------------------------------	--

Note:- 1. OPR : All properties other than (i) assets referred to in section 2(ea) and liable for wealth tax; (ii) assets claimed as exempt under section 5; (iii) assets excluded under section 6; or (iv) assets being part of business or profession which is subject to audit under section 44AB of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961).”

[Notification No.32/2014, F.No.143/1/2014-TPL]

(J. Saravanan)
Under Secretary, TPL

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* Notification number S.O. 3384(E), dated the 18th October, 1957 and last amended by Wealth-tax (Second Amendment) Rules, *vide* Notification S.O. Number 470 (E) dated the 13th February 2009. .

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
धन कर

नई दिल्ली, तारीख 23 जून, 2014

का0आ0 1576.(अ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 14क और धारा 14ख के साथ पठित, धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (खक) और खंड (खख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन कर नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन कर (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. धन कर नियम, 1957 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) में,—

(i) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“3. शुद्ध धन की विवरणी का प्ररूप- (1) धारा 14 में निर्दिष्ट शुद्ध धन की विवरणी-

(क) व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुंबों और कंपनियों की दशा में, निर्धारण वर्ष 2013-14 और पूर्वतर निर्धारण वर्षों की बाबत प्ररूप खक में होगी और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित की जाएगी ।

(ख) व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुंबों और कंपनियों की दशा में, निर्धारण वर्ष 2014-15 और किसी अन्य पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत प्ररूप खख में होगी और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित की जाएगी ।

(2) उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण वर्ष 2014-15 और उसके पश्चात् किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट धन कर की विवरणी अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में दी जाएगी ।

(3) ऐसे व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसे आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उपनियम (1) में निर्दिष्ट धन कर की विवरणी निर्धारण वर्ष

2014-15 के लिए पत्र प्ररूप में दी जा सकेगी ।

(4) प्ररूप खख में दिए जाने के लिए अपेक्षित धन कर की विवरणी के साथ विवरणी के आधार पर संदेय कर की संगणना दर्शाने वाला विवरण या संदत्त कर और ब्याज का सबूत या कोई दस्तावेज या किसी लेखा की प्रति या अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन धन कर के विवरण के साथ संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन की रिपोर्ट का प्ररूप नहीं होगा ।

(5) आय कर महानिदेशक (प्रणाली) आंकड़ों का सुरक्षित प्रग्रहण और पारेषण सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में विवरणी दिए जाने से संबंधित समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनः प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी भी होगा ।”

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट में, प्ररूप खक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप खख	शुद्ध धन की विवरणी [धन कर नियम, 1957 का नियम 3(1)(ख)] (संलग्न अनुदेश भी देखिए)	निर्धारण वर्ष
		-

भाग क जीईएन साधारण

व्यक्तिगत जानकारी	नाम (व्यक्ति के लिए अंतिम नाम/उपनाम, पहला नाम, मध्य नाम, अन्तिम नाम लिखें)		स्थायी लेखा सं०	
	फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	प्राप्ति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यक्ति <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कुटुंब <input type="checkbox"/> कंपनी	
	सड़क/गली/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान	जन्म/निगमन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) (व्यक्ति की दशा में) / /	
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड	लिंग (व्यक्ति की दशा में) (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> महिला
	एस०टी०डी० कोड सहित फोन नं०	मोबाइल नं०	आय-कर वार्ड/ सर्किल	
	ई मेल पता			क्या भारतीय निवासी हैं (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	विवरणी फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं० 7 देखिए] <input type="checkbox"/> नियत तारीख से पूर्व -14(1) <input type="checkbox"/> नियत तारीख के पश्चात् -15 <input type="checkbox"/> पुनरीक्षित विवरणी - 15 या सूचना के उत्तर में <input type="checkbox"/> 16(4)(i) <input type="checkbox"/> 17 (1)			
	यदि पुनरीक्षित है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष)	/ /	मूल्यांकन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	/ /
क्या यह आपकी पहली विवरणी है ? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		/ /		
आवासीय प्राप्ति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी <input type="checkbox"/> निवासी किन्तु साधारण तौर पर निवासी नहीं				
क्या यह विवरणी अध्याय 5 में निर्दिष्ट विशेष दशा में किसी व्यक्ति द्वारा फाइल की जा रही है ? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -				
(क)	व्यक्ति का नाम			
(ख)	व्यक्ति का पता			

(ग)	व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्या (पैन)										(घ) लागू खंड
क्या आपका आय कर निर्धारित किया गया है ? <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं											

भाग ख

भाग ख -एनडब्ल्यू	शुद्ध धन की संगणना	
1	स्थावर संपत्ति का संकलित मूल्य (अनुसूची आईपी की मद संख्या 10 के अनुसार)	1
2	जंगम संपत्ति का संकलित मूल्य [धारा 2 (डक) (iii) में निर्दिष्ट आभूषण, आदि से भिन्न] (अनुसूची एमपी की मद संख्या 4 के अनुसार)	2
3	आभूषण आदि का संकलित मूल्य (अनुसूची जेई की मद संख्या 12 के अनुसार)	3
4	अन्य व्यक्तियों का सम्मिलित किए जाने योग्य शुद्ध धन (अनुसूची आईएनडब्ल्यू की मद संख्या बी के अनुसार)	4
5	फर्म/भागीदार/सदस्य के रूप में एओपी में धारित आस्तियों में ब्याज का संकलित मूल्य (अनुसूची आईएफडब्ल्यू की मद संख्या बी के अनुसार)	5
6	शुद्ध धन (1+2+3+4+5)	6

भाग ख -टी एनडब्ल्यू	शुद्ध धन पर कर दायित्व की संगणना	
1	शुद्ध धन पर संदेय कर	1
2	विवरणी के विलंब से फाइल किए जाने पर ब्याज	2
3	संदेय कुल कर और ब्याज (1+2)	3
4	संदत्त कर और ब्याज	4
5	संदेय रकम (यदि 4 से 3 अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)	5
6	प्रतिदाय (यदि 3 से 4 अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)	6
7	प्रतिदाय, यदि कोई है तो प्रत्यक्षतः आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा। कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें :	
	अपनी बैंक खाता संख्या	
	एमआईसीआर कोड	
	खाते का प्रकार (यथा लागू सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> बचत <input type="checkbox"/> चालू	

भाग ख-टीपी संदत्त कर और ब्याज के ब्यौरे

क्र.सं	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)	
					(1)
कर संदाय	i				
	ii				
	iii				
	iv				
कुल					

सत्यापन*

मैं,.....(स्पष्ट शब्दों में नाम) जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्यांक,.....का धारक हूँ, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसके साथ संलग्न अनुसूचियों, विवरणों, आदि में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित शुद्ध धन और अन्य विशिष्टियां सत्य रूप से कथित की गई हैं और शुद्ध धन की बाबत मूल्यांकन तारीख को निर्धारण वर्ष के लिए प्रभायर्धन धन कर की बाबत धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के उपबंधों के अनुसार हैं।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं की हैसियत (कंपनी/हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में पदनाम) में यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने के लिए और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

स्थान
तारीख

यहां हस्ताक्षर करें →

*सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व हस्ताक्षरकर्ता को अपना समाधान कर लेना चाहिए कि यह विवरणी हर तरह से सही और पूर्ण है। इस विवरणी में मिथ्या कथन करने वाला कोई भी व्यक्ति धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 35घ के अधीन अभियोजन के दायित्वाधीन होगा और दोषसिद्ध होने पर :

(i) उस दशा में, जब ईप्सित कर वंचन एक लाख रुपए से अधिक है, तो ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ;

(ii) किसी अन्य दशा में, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

अनुसूची आईपी		स्थावर संपत्ति [धारा 2(डक)(i) या धारा 2 (डक)(v)]		
क्र.सं.	विवरण	स्थावर संपत्ति 1 (i)	स्थावर संपत्ति 2 (ii)	स्थावर संपत्ति 3 (iii)
1	विवरण			
2	पूरा पता			
3	भूमि का सर्वे/प्लॉट सं०			
4	अनुसूची 3 के अनुसार मूल्य			
5	स्थावर संपत्ति से संबंधित देय ऋण			
6	शुद्ध रकम (4-5)			
7	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक का नाम			
8	मूल्यांकक की रजिस्ट्रीकरण संख्या			
9	मूल्यांकक द्वारा रिपोर्ट की तारीख			
10	सभी स्थावर संपत्तियों की संकलित शुद्ध रकम [6(i) + 6(ii) + 6(iii)]			

अनुसूची एमपी		जंगम संपत्ति [धारा 2(डक)(iii) में निर्दिष्ट आभूषण, आदि से भिन्न]		
क्र.सं.	विवरण	मोटर कार [धारा 2(डक)(ii)] (ए)	नौका, आदि [धारा 2(डक)(iv)] (बी)	नकदी [धारा 2(डक)(vi)] (सी)
1	अनुसूची 3 के अनुसार मूल्य			
2	आस्ति से संबंधित देय ऋण			
3	शुद्ध रकम (1-2)			
4	सभी जंगम संपत्तियों की संकलित शुद्ध रकम [3(ए) + 3(बी) + 3(सी)]			

अनुसूची जेई		जंगम संपत्ति [धारा 2(डक)(iii) में निर्दिष्ट आभूषण, आदि]		
क्र.सं.	विवरण	आभूषण आदि की मद (ए)	आभूषण आदि की मद (बी)	आभूषण आदि की मद (सी)
1	मद का विवरण			
2	सकल भार			
3	बहुमूल्य धातु का शुद्ध भार			
4	बहुमूल्य या कम मूल्य के रत्नों का विवरण और भार			
5	प्रत्येक बहुमूल्य या कम मूल्य के रत्न का मूल्य और ऐसे सभी रत्नों का कुल मूल्य			
6	अनुसूची 3 के अनुसार आभूषण का कुल मूल्य			
7	आभूषण से संबंधित देय ऋण			
8	शुद्ध रकम (6-7)			
9	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक का नाम			
10	मूल्यांकक की रजिस्ट्रीकरण संख्या			
11	मूल्यांकक द्वारा रिपोर्ट की तारीख			
12	सभी आभूषण आदि की संकलित शुद्ध रकम [8(i) + 8 (ii) + 8 (iii)]			

(क)	क्र०सं.	व्यक्ति का नाम (क)	संबंध (ख)	अन्य व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक (ग)	सभी आस्तियों का संकलित मूल्य (घ)	ऐसी आस्तियों के संबंध में देय ऋण (ङ)	शुद्ध रकम [(घ)-(ङ)]
(ख)	व्यक्ति का कुल शुद्ध धन						

अनुसूची आईएफए				किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम (एओपी) का, भागीदार या उसके सदस्य के रूप में आस्तियों में धारित हित :					
(क)	क्र.सं.	फर्म/फर्मों/एओपी के नाम (क)	फर्म/फर्मों/एओपी का पता (ख)	फर्म/फर्मों/एओपी का स्थायी लेखा संख्यांक (ग)	अन्य भागीदारों/सदस्यों के नाम (घ)	निर्धारिती की लाभ हिस्सेदारी का अनुपात (%) (ङ)	अनुसूची 3 के अनुसार फर्म/एओपी की आस्तियों में निर्धारिती के हित का मूल्य (घ)	ऐसे हित के संबंध में देय ऋण (ङ)	शुद्ध रकम [(घ)-(ङ)]
(ख)	किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम (एओपी) का, भागीदार या उसके सदस्य के रूप में आस्तियों में धारित कुल हित								

अनुसूची एसीई			धारा 2(डक) में निर्दिष्ट वे आस्तियां जिनका धारा 5 के अधीन छूट के रूप में दावा किया गया है	
क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	मूल्य	ऐसी आस्तियों के संबंध में देय ऋण	छूट का दावा करने का कारण

अनुसूची ओपीआर		अन्य संपत्तियां (टिप्पण 1 देखिए) (केवल व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू कुटुंब द्वारा भरे जाने के लिए)		
संपत्तियां				लागत
क	स्थावर संपत्ति			
	I	कृषि भूमि		
		(क)	विवरण	
		(ख)	पूरा पता	
		(ग)	भूमि का सर्वे/प्लॉट सं०	
	II	गैर कृषि भूमि		
		(क)	विवरण	
		(ख)	पूरा पता	
		(ग)	भूमि का सर्वे/प्लॉट सं०	
	III	वाणिज्यिक भवन		
		(क)	विवरण	
		(ख)	पूरा पता	
		(ग)	भूमि का सर्वे/प्लॉट सं०	
	IV	आवासीय भवन		
		(क)	विवरण	

	(ख)	पूरा पता	
	(ग)	भूमि का सर्वे/प्लॉट सं०	
ख	जंगम संपत्ति		
I	वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और कोआपरेटिव सोसाइटियों सहित बैंक खातों (एफडीआर, सावधि जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा, जिसके अंतर्गत बचत खाते भी हैं) में जमा कुल रकम ।		
II	बांड, डिबेंचर/शेयर और कंपनियों में यूनिट/म्युचुअल फंड में विनिधान की रकम ।		
III	एनएसएस, डाक बचत, बीमा पोलिसियों में विनिधान और डाकघर या बीमा कंपनी में किसी वित्तीय लिखत में विनिधान की रकम ।		
IV	ऋणों/ किसी व्यक्ति या अस्तित्व, जिसके अंतर्गत फर्म, कंपनी, न्यास आदि भी हैं को दिया गया अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियों की कुल रकम		
V	कोई अन्य संपत्ति जिसके अंतर्गत दावों/ब्याज आदि का मूल्य भी है ।		
अन्य संपत्तियों की लागत पर कुल मूल्य			
अन्य संपत्तियों के संबंध में कुल दायित्व			
अन्य संपत्तियों की शुद्ध रकम			

टिप्पण- 1. ओपीआर : (i) धारा 2(डक) में निर्दिष्ट आस्तियां और धन कर के दायित्वाधीन ; (ii) धारा 5 के अधीन छूट के रूप में दावा की गई आस्तियां ; (iii) धारा 6 के अधीन अपवर्जित आस्तियां ; या (iv) कारबार या वृत्ति का भाग होने के कारण आस्तियां जो आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के अध्याधीन हैं, से भिन्न सभी संपत्तियां ।'

[अधिसूचना सं.32/2014 फा.सं. 143/1/2014-टीपीएल]

(जे. सरवनन)
अवर सचिव (टीपीएल)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3384(अ) तारीख 18 अक्टूबर, 1957 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन का.आ. सं 470 .(अ) तारीख 13/02/2009 द्वारा किया गया ।